न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मुंड , आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
छोटूराम पुत्र गणेशराम जाट निवासी आंतरोली सांगा		1. गोविन्दराम पुत्र धासीराम जाट 2. जगदीश पुत्र धासीराम जाट 3. जसाराम पुत्र मगनाराम जाट 4. निम्बाराम पुत्र धासीराम जाट 5. रामकरण पुत्र पूसाराम जाट 6. आचूदेवी पुत्री रामूराम जाट 7. उमादेवी पुत्री रामूराम जाट 8. केलादेवी पुत्री भीयाराम जाट 9. गीतादेवी पुत्री रामूराम जाट 10. घेवरीदेवी पुत्री मोहनराम जाट 11. छोटीदेवी पुत्री रामूराम जाट 12. झूमादेवी पुत्री रामूराम जाट 13. तिजूड़ी पत्नी रामूराम जाट 14. दाखुड़ी पुत्री भीयाराम जाट 15. धापूड़ी पत्नी भीयाराम जाट 16. बक्शाराम पुत्र जयराम जाट 17. मीरादेवी पुत्री भीयाराम जाट 18. रूपाराम पुत्र जयराम जाट 19. सुखाराम पुत्र भीयाराम जाट 20. हरजीराम पुत्र भीयाराम जाट निवासी खेड़ापुरा तह. परबतसर 21. तहसीलदार परबतसर

दावी बाबत :– स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती।

उपस्थित :– श्री कमल किशोर चौहार अधिवक्ता वादी

मुकदमां नम्बर :– 29/2019 निर्णय दिनांक :– 20/02/2020

निर्णय

1. वादी छोटूराम की ओर से अधिवक्ता श्री कमलकिशोर चौहान ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम खेडापुरा के खसरा नम्बर 65, 66 कुल रकबा 3.52 हैक्टयर

20/2/20

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 131, 136, 137, 138 कुल रकबा 5.42 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें वादी छोटूराम 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। वादी छोटूराम पुत्र गणेशराम का राजस्व रिकार्ड के अलावा सभी कागजो मे पिता का नाम गणेशराम लिखा हैं और गलती से राजस्व रिकार्ड मे पिता का नाम गणेशराम के स्थान पर पूसाराम लिख दिया गया जो गलत है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं किसी प्रकार मनमुटाव नही है परन्तु भविष्य मे किसी प्रकार का विवाद नही हो इस कारण राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाना आवश्यक है। विवाद दावा करीब 15-20 रोज पूर्व वादी खातेदारी अधिकारो मे प्रतिवादीगण ने एतराज करने पर बमुकाम खेड़ापुरा पैदा हुआ है। वादी ने वाद पेश कर उक्त विवादित भूमि मे छोटूराम पुत्र पूसाराम का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर छोटूराम पुत्र गणेशराम दर्ज किया जावे एव प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे न अपने एजेन्टो से करावे इस्तदुआ चाही है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है दिनांक 25.06.2019 को प्रतिवादी 5 की ओर से वकील श्री किशन वर्मा ने वकालतनामा पेश किया है प्रतिवादी 1 से 4 व 6 से 20 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने पर बार बार अवाज लगाये जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी 21 के विरूद्ध दिनांक 25.11.2019 को सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 5 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया हैं। साक्ष्य वादी केवल वादी का शपथ पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2076-79 पेश की हैं प्रदर्श - 2 भामाशाह कार्ड की रसीद, प्रदर्श-3 मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श- 3 आधार का की छाया प्रति पेश की है।

4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के अनुसार ग्राम खेड़ापुरा के खसरा नम्बर 65, 66 कुल रकबा 3.52 हैक्टयर में छोटूराम पुत्र पूसाराम का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 131, 136, 137, 138 कुल रकबा 5.42 हैक्टयर में छोटूराम पुत्र पूसाराम का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेजात जो पेश किये है उसमें छोटूराम पुत्र गणेशराम दर्ज है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं कि वादी का नाम कभी किसी राजस्व रिकार्ड में छोटूराम पुत्र गणेशराम दर्ज रहा हो, न ही यह बताया हैं कि वादी का नाम इस विवादित भूमि मे कब किस दस्तावेज से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ हैं न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश

Scanned by CamScanner

किया हैं जिसमे छोटूराम पुत्र पूसाराम व छोटूराम पुत्र गणेशराम एक ही व्यक्ति होना साबित होता हो। साथ ही वादी के प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं जमाबन्दी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सभी संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नही हो रखा हैं। जिससे प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त हैं कोई भी व्यक्ति अपने सह खातेदार को कानून स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। जिससे वादी रेकर्ड दुरूस्त व स्थाई निषेधाज्ञा सिद्ध नही होता है। वादी का वाद स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वाद वादी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 20/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/2020

(मुकेश कुमार 'मूंड')
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

Scanned by CamScanner